	(2) निम्नलिखित चीजें क्रेडिट होकर द्वीप परिषद निधि का भाग बनेंगे, अर्थात्; (क) धारा – 75 के अंतर्गत लागू टैक्स या फीस के रूप में प्राप्त राशि; (ख) सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा दिया गया अंशदान; (ग) किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा द्वीप परिषद निधि में जमा करने के लिए आदेशित सभी राशि; (घ) प्रतिभूतियों में निवेश की गई द्वीप परिषद निधि से प्राप्त आय; (ड.) भू–राजस्व अथवा सरकार के अन्य शुल्कों से प्राप्त शेयर; (च) ऋण अथवा उपहार के रूप में प्राप्त सभी राशि; (छ) द्वीप परिषद के प्रबंधन के अंतर्गत मत्स्य क्षेत्र से प्राप्त आय; (ज) द्वीप परिषद के किसी सम्पत्ति से प्राप्त राशि के रूप में आय; (झ) द्वीप परिषद के कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा की गई सभी धूल, मिट्टी गोबर, कूड़ा–कचरा से प्राप्त धनराशि; (ञ) प्रशासक के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा द्वीप परिषद निधि में दी गई राशि; (ट) द्वीप परिषद निधि से या द्वीप परिषद द्वारा प्रबंधित अनुरक्षित वित्तपोषित किसी संस्थान या सेवा के लिए सहायतार्थ या खर्च हेतु प्राप्त सभी राशि, तथा; (ठ) भारत सरकार द्वारा समेकित निधि से प्राप्त सहायता अनुदान। (3) द्वीप परिषद निधि की राशि इस विनियम के प्रावधानों के अधीन तथा इसके प्रयोजनों के लिए होगी और विहित अनुसार ऐसे अभिरक्षा में रखा जाएगा ।	
	75. (1) द्वीप परिषद प्रक्रिया तथा विहित तथा अनुसार ऐसे सीमा के अधीन निम्नलिखित करों, शुल्कों, चुंगी, उपकर तथा फीस की उगाही, प्राप्त, आकलन और निर्धारण करेगा, अर्थात्; (क) कच्ची सड़क या उनके अधिकार क्षेत्र में किसी पुल या इस प्रबंधन के अधीन सड़क को छोड़कर किसी सड़क पर स्थापित टोल बार, घर, व्यक्तियों, वाहनों या किसी भी पशुओं के वर्ग पर लगाया गया टोल;	कर, शुल्क आदि की उगाही